



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2006/कार्तिक 5, 1928

No. 1294]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2006/KARTIKA 5, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1853(अ).—सभी पिछली अधिसूचनाओं/आदेशों के अतिक्रमण में तथा फा. सं. ए-2281/103/2006-एडी-VI/दिनांक 14-8-2006 में 2006 के आदेश सं. 112 के परिणाम स्वरूप तथा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर है, कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के मामलों अथवा मामलों के वर्ग द्वारा दायर तथा कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाली किसी अपील के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे। क्षेत्राधिकार में यह परिवर्तन आज की तिथि तक लम्बित सभी अपीलों पर लागू होगा।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर आयुक्त (अपील) का प्रभार	मुख्यालय	आयकर प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार	व्यक्तियों के मामले अथवा मामलों के वर्ग
1	2	3	4	5
01	आयकर आयुक्त (अपील)-V, बंगलौर	बंगलौर	1. आयकर आयुक्त, मैसूर और 2. आयकर आयुक्त-V, बंगलौर 3. आयकर आयुक्त(टीडीएस), बंगलौर	सभी मामले
02	आयकर आयुक्त (अपील), हुबली	हुबली	1. आयकर आयुक्त, हुबली और 2. आयकर आयुक्त, देवनगिरी	सभी मामले

2. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[2006 की अधिसूचना सं 308/फा. सं. 279/विविध-130/2006-आईटीजे]

संजय कुमार भारती, अवर सचिव